

कार्यालय ज्ञापन

**विषय: वर्ष 2021 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन- दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवम्बर, 2021.**

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 01.09.2021 के परिपत्र संख्या 15/09/21 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" इस वर्ष दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2021 तक मनाया जाएगा। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है "Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" है। आयोग के उक्त परिपत्र की एक प्रति संदर्भ हेतु इसके साथ संलग्न है।

2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवम्बर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आरंभ दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे से संस्थान के सभी कर्मचारीगण चाहे, उनका कोई भी पद हो, द्वारा प्रतिज्ञा लेने से होगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम/गतिविधियों के विवरण के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा।

3. निदेशक, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली द्वारा स्थापना अनुभाग (निदेशक कार्यालय) वित्त प्रभाग, इंजीनियरी सेवा विभाग, शैक्षिक अनुभाग, संपदा अनुभाग, सामान्य अनुभाग, भण्डार अनुभाग (नि.का.), सुरक्षा विभाग तथा निदेशक विंग में कार्यरत सभी अधिकारीगण/स्टाफ को दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे पी.सी. ब्लॉक फॉयर में कोविड -19 निवारक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रतिज्ञा दिलवाई जाएगी।

4. उपर्युक्त को विचार में लेते हुए, संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/उप-निदेशक(प्रशासन)/उप-सचिव/वरिष्ठ वित्त सलाहकार/मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार/उप-मुख्य सुरक्षा अधिकारी/वरिष्ठ भंडार अधिकारी/प्रशासन अधिकारी, संपदा अनुभाग/सामान्य अनुभाग से अनुरोध है कि कृपया यह सूचना सभी स्टाफ सदस्यगण की जानकारी में ला दें और कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने अधीनस्थ स्टाफ सहित दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे, पी.सी. ब्लॉक फॉयर में उपस्थित हों। इस उद्देश्य हेतु प्रतिज्ञा की प्रति संलग्न है।

इसे निदेशक, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोपरि

  
14.10.2021

(विपिन प्रकाश)

प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)

Email: ao.vigilance@aiims.edu

विपिन प्रकाश

प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)

अ० भा० आ० सं०, नई दिल्ली

वितरण:

1. संकायाध्यक्ष
2. उप-निदेशक (प्रशासन)
3. उप-सचिव
4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
5. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)
6. सह-संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी
8. कुल-सचिव, एम्स
9. अधीक्षण अभियंता
10. मुख्य प्रशासन अधिकारी
11. वित्त सलाहकार
12. उप-मुख्य सुरक्षा अधिकारी
13. भण्डार अधिकारी (नि.का.)
14. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी,(सामान्य अनुभाग)/संपदा अनुभाग/स्थापना अनुभाग(नि. का.)/संकाय प्रकोष्ठ/भर्ती प्रकोष्ठ विधि प्रकोष्ठ/ एस.सी.-एस.टी. प्रकोष्ठ/ए.सी.आर. प्रकोष्ठ/ आर.टी.आई प्रकोष्ठ/शिकायत निवारण/समन्वय प्रकोष्ठ
15. प्रोफेसर इन्चार्ज, कंप्यूटर सुविधा- इस आशय के साथ कि वह इसे संस्थान कि वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करे।

आप सभी से निवेदन है कि 26 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 10.45 बजे पी.सी. फॉयर में अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ आएँ तथा उचित दूरी का पालन करें।

**अधीक्षण अभियंता को प्रतिलिपि** इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि कृपया वे ब्लॉक फॉयर में उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करवाएं:-

1. मंच
2. जन संबोधन साधन
3. उचित दूरी का ध्यान रखकर प्रतिज्ञा स्थल पर निशान लगवाए।

  
14.10.2021

(विपिन प्रकाश)

प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)



No.F.Vig/2-328/2021  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[VIGILANCE CELL]

Ansari Nagar, New Delhi-110029

Dated:

14 OCT 2021

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Observance of Vigilance Awareness Week 2021-observed from 26<sup>th</sup> October 2021 to 1<sup>st</sup> November, 2021-regarding.**

The Central Vigilance Commission (CVC) vide their Circular No.15/09/21 dated 01.09.2021 has decided that “**Vigilance Awareness Week**” shall be observed this year from **26<sup>th</sup> October 2021 to 1<sup>st</sup> November, 2021**. This year the theme of Vigilance Awareness Week is “**Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता**”. A copy of aforesaid circular of the Commission is enclosed for reference.


2. In accordance with the instruction of the CVC, it has been decided to observe Vigilance Awareness Week in All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi from 26<sup>th</sup> October 2021 to 1<sup>st</sup> November, 2021. The Vigilance Awareness Week would begin from 26<sup>th</sup> October, 2021 at 11:00 Hours with a pledge which would be taken by all the employees of the Institute irrespective of their status. Details of other program/activities to be undertaken during the week will be intimated separately.

3. The Director, AIIMS, would administer the pledge to all the Officials/Staff/working in the Establishment Section (DO), Finance Division, Engineering Services Department, Academic Section, Estate Section, General Section, Store Section (DO), Security Department and the Director Wing at **P.C. Block Foyer at 11:00 AM on 26.10.2021 adhering the COVID-19 Protocol.**

4. In view of above, the Dean (Academic)/Dy. Director (Admn.) Deputy Secretary/Sr. F.A./ Chief Security Officer/ Chief Administrative Officer/ Superintending Engineer/ Financial Advisor/ Dy. Chief Security Officer/ Admn. Officer Estate Section/General Section are requested to bring this to the notice of all and kindly ensure their presence along with all staff working under them at P.C. Block Foyer at 11:00 AM on 26<sup>th</sup> October 2021. Copy of the pledge is enclosed for the purpose.

The issues with the approval of Director, AIIMS, New Delhi.

Encl: As above.

  
14.10.2021

[Vipin Prakash]

Administrative Officer [Vigilance]

Email: ao.vigilance@aiims.edu

**DISTRIBUTION:**

1. The Dean
2. The Deputy Director (Admn.)
3. The Deputy Secretary
4. The Sr. Financial Advisor
5. The Dean (Academic)
6. The Associate Dean (Academic)
7. The Chief Security Officer
8. The Superintending Engineer, AIIMS/NCI-AIIMS Jhajjar
9. The Registrar, AIIMS Staff,
10. The Chief Administrative Officer
11. The Financial Advisor
12. The Dy. Chief Security Officer
13. The Senior Stores Officer (DO)
14. The Sr. Admn. Officer/Admn. Officer (General Section/  
Estate Section/Estt. Section(DO)/Faculty Cell/Rectt. Cell/ Legal Cell/ SC-ST Cell/ACR Cell/RTI  
Cell/Grievance/Coordination cell.
15. Prof. In-charge, Computer Facility – with the request to kindly upload the same on Institute website.

**विपिन प्रकाश**  
प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)  
अ० भा० आ० सं०, नई दिल्ली

All are requested to come and maintain proper distance in the P.C. Foyer at 10:45 AM on 26.10.2021 with their staff working under them.

**Copy to** the Superintending Engineer, AIIMS with the request to kindly get the following arrangements made in the main foyer for the above program:-

1. Platform;
2. Public Address System;
3. Marking on floor(removable) for maintaining proper social distancing in the particular area.

  
[Vipin Prakash] 14.10.2021

Administrative Officer [Vigilance]

फा.सं. सतर्कता/2-328/2020  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
(सतर्कता प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.  
दिनांक : 14 OCT 2021

कार्यालय ज्ञापन

**विषय: वर्ष 2021 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन- दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवम्बर, 2021.**


उपर्युक्त विषयक श्री पी. डेनियल, अपर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 01.09.2021 के परिपत्र संख्या 021/सतर्कता/045 की एक प्रति, एतद्वारा, सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित की जाती है।

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवम्बर, 2021 तक होगा जिसका आरंभ दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे से संस्थान के कर्मचारीगण, चाहे उनका कोई भी पद हो, द्वारा प्रतिज्ञा लेने के साथ होगा, और यह प्रतिज्ञा संबंधित केंद्र प्रमुख/विभागाध्यक्ष/विभिन्न क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक अथवा इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा कोविड -19 निवारक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दिलायी जाएगी। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" है।

3. सतर्कता जागरूकता सप्ताह की अनुपालन रिपोर्ट को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अग्रेषित करने हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुलागंक 'ग', 'च' और 'छ' के अनुसार यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करे।

इसे निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक : यथोपरि

  
14.10.2021  
(विपिन प्रकाश)

प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)  
Email: ao.vigilance@aiims.edu

वितरण:

1. केंद्र-प्रमुखगण
2. चिकित्सा अधीक्षक
3. विभाग/अनुभाग/एकक-अध्यक्षगण
4. प्रोफेसर इन्चार्ज कम्प्यूटर फसिलिटी- इस आशय के साथ कि वह इसे संस्थान कि वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करे।

विपिन प्रकाश  
प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)  
अ० भा० आ० सं०, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

निदेशक/उप-निदेशक(प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/संकायाध्यक्ष(अनुसंधान)/संकायाध्यक्ष (परीक्षा)/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव/ मुख्य प्रशा.अधिकारी के निजी सचिव।



No.F.Vig/2-328/2021  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[VIGILANCE CELL]

Ansari Nagar, New Delhi-110029

Dated: 14 OCT 2021

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Observance of Vigilance Awareness Week 2021-observed from 26<sup>th</sup> October 2021 to 1<sup>st</sup> November, 2021-regarding.**


The undersigned is directed to forward herewith a copy of Circular No. 021/VGL/045 dated 01.09.2021 of Sh. P. Daniel, Additional Secretary, Central Vigilance Commission (CVC), New Delhi on the above subject for information and compliance.

2. The Vigilance Awareness Week would be observed from 26<sup>th</sup> October 2021 to 1<sup>st</sup> November, 2021 at 11:00 Hours with a pledge which would be taken by all the employees of the Institute irrespective of their status and would be administered by the respective Chief of Centres/Head of the Departments/the Officer In-charge of various areas/ the Medical Superintendent or the Senior-Most Officer available on the occasion adhering the COVID-19 protocol. This year the theme of Vigilance Awareness Week is "Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता".

3. The compliance report on observance of the week may be forwarded to vigilance cell, AIIMS, New Delhi as per the format enclosed at Annexure 'C', 'F' & 'G' by the 10<sup>th</sup> of November, 2021.

This issues with the approval of Director, AIIMS, New Delhi.

Encl:- As above.

  
14.10.2021

[Vipin Prakash]  
Administrative Officer [Vigilance]  
Email: ao.vigilance@aiims.edu

**DISTRIBUTION:**

1. The Chief of Centres
2. The Medical Superintendent
3. The Head of the Departments/Sections/Units
4. The Prof. In-charge, Computer Facility: with the request to kindly upload the same on the Institute website.

विपिन प्रकाश  
प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)  
अ० भा० आ० सं०, नई दिल्ली

**Copy for information to:**

PPS to Director/DDA/PS to Dean (Acad.)/Dean (Research)/ Dean (Exams)/ PS to Dy. Secretary/PA to CAO.



सत्यमेव जयते



केन्द्रीय सतर्कता आयोग  
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023  
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,  
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No..... 021/VGL/045

दिनांक / Dated..... 01.09.2021

सतर्कता प्रकाश, ज.भा.आ.स., नई दिल्ली  
Vigilance Cell, A.I.M.S., New Delhi  
दिनांक/Date 03/09/21  
ई-ऑफिस नं./E-office No. 470299  
प्राप्ति/Received

Circular No. 15/09/21

**Sub: Observance of Vigilance Awareness week 2021.**

1. In a move towards commemorating 75 years of India's Independence which falls on August 15, 2022. Central Vigilance Commission in carrying out its duty as the apex anti-corruption body in the country, reaffirms its resolve to fight corruption and ensure integrity in public life to usher in a new era of a self-reliant India. In recognition of this momentous stage in India's journey, the Commission has decided that this year Vigilance Awareness Week would be observed from 26<sup>th</sup> October to 1<sup>st</sup> November, 2021 with the theme "Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता".
2. Vigilance Awareness Week is observed every year during the week in which the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel (31<sup>st</sup> October) falls. Observance of Vigilance Awareness Week is one of the tools used by the Commission to bring together all stakeholders to collectively participate in the prevention of, and the fight against corruption and to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by corruption. During this week, all organizations are encouraged to bring together all their employees, create awareness regarding common issues related to vigilance and create an atmosphere motivated towards weeding out corruption and unethical practices.
3. Though punishment and penal actions delivered quickly are effective deterrents to corruption, the spirit behind the observation of Vigilance Awareness Week is to sensitize the public against the menace of corruption. All organizations should strive to drive home the idea that the fight against corruption is a collective fight involving everyone. It is

*[Handwritten Signature]*  
02/09/2021

सं प्रो शांति

23/09/2021

डा. ई. श्री (प्रो)

therefore imperative that the public must be motivated to fight against corruption if India is to succeed in its goal towards achieving self-reliance with integrity.

4. The observance of Vigilance Awareness Week would commence with the taking of the integrity pledge (copy enclosed at the **Annexure A**) by public servants in the Ministries/ Departments/ Central Public Sector Enterprises (CPSEs)/ Public Sector Banks (PSBs) and all other organizations on 26<sup>th</sup> October, 2021 at 1100 hrs.

5. All organizations are advised to strictly adhere to extant Covid-19 prevention guidelines at all locations and events issued from time to time by the competent authority. In addition, all the organizations should strictly adhere to the economy measures issued by Ministry of Finance vide Department of Expenditure OM no. 7(2)E. Coord/2020 dated 04.09.2020

6. All organizations are advised to conduct activities relevant to the theme, both within and outside their respective organizations, and to conduct outreach activities for public/citizens.

7. Activities to be conducted within the organizations may include the following:

a. In continuation of activities taken up during Vigilance Awareness Week, 2020, the Commission desires that all organizations focus on internal (housekeeping) activities. The indicative list for these activities as well as the format in which response is to be given is enclosed (**Annexure C**).

b. Employees may be encouraged to take e-pledge by visiting the website. Online "Integrity Pledge" is available at CVC's website ([www.cvc.gov.in](http://www.cvc.gov.in)) and can be accessed by all.

c. **The Commission has desired to spread awareness and campaign about "Complaints under PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers)". Two posters in this regard have been prepared and may be displayed at all offices of the organization (Annexure D). A drive may be undertaken to spread awareness regarding the provisions under the PIPDI resolution as well as all related information. Both posters should be placed together and should be translated to local languages, wherever required.**

d. Conduct workshops/sensitization programs for employees and other stake holders on policies/procedures of the organization and on Preventive Vigilance measures.

e. Use organizational website for dissemination of employees/ customer-oriented information and to make available avenues for redressal of grievances.

f. The systemic improvements and good practices adopted for wider dissemination and awareness may be displayed on the website of the concerned organizations.

g. Conduct various competitions such as debates, quiz etc. for the employees and their families on issues relating to anti-corruption.

h. Promote the concept of e-Integrity Pledge by persons with whom the organization deals with.

8. Outreach activities for public/citizens:

a. All Ministries/Departments/Organizations shall publicize Integrity Pledge amongst all employees, their families, vendors/ suppliers/ contractors/ stake holders, students etc. to elicit wider participation. Integrity pledge for citizens and organizations enclosed at Annexure A and B.

b. Wide publicity may be given to "Complaints under PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers)". Two posters in this regard have been prepared and may be displayed at all offices of the organization (Annexure D). A drive may be undertaken to spread awareness regarding the provisions under the PIPDI resolution as well as all related information. Both posters should be placed together and should be translated to local languages, wherever required.

c. Organizations may undertake activities such as walkathons, marathons, street plays etc. which have visibility and mass appeal across all strata of society.

d. Extensive use of social media platforms, bulk SMS/ e-mails, WhatsApp etc. for spreading awareness.

e. Organize grievance redressal camps for citizens/ customers by organizations having customer-oriented activities. Similarly, vendor meets may be organized wherever necessary, through online mode or otherwise, whichever is more feasible.

f. Organizations may conduct various outreach activities for dissemination of anti-corruption messages and stressing the vision of a Vigilant India who is moving towards self-reliance with integrity. Online modes may be extensively used, wherever required.

g. Organize "Awareness Gram Sabhas" for dissemination of awareness in Gram Panchayats to sensitize citizens on the ill effects of Corruption. As per past practice, Public Sector Banks need to conduct "Awareness Gram Sabhas" at the Branch level in atleast two Gram Panchayats. Other organizations may also organize wherever possible. Indicative list of activities which can be conducted as part of "Awareness Gram Sabhas" is at Annexure E.

9. The two months, September and October, 2021 may be observed as a "Special Clearance Campaign" to clear all outstanding Further Information cases (FI), Implementation of First Stage and Second Stage Advices (FSAs and SSAs), Investigation and reports (I&Rs), Factual Reports (FRs), Complaints (PIDPI), Complaints (Non-PIDPI), Prosecution Sanctions, Departmental Inquiries (DIs) and Comments Awaited on CBI reports (CAs), in respect of all organizations and departments.

A report may be submitted as per format at Annexure F to the Commission.

10. Vigilance study circles may also participate actively in the Vigilance Awareness Week by conducting any or all the outreach activities keeping in view Covid-19 guidelines as well as economy measures mentioned in para 5.

11. The Commission expects all organizations to conduct various activities with zeal and enthusiasm to achieve the objective to eliminate corruption in public life. Although all activities need to be conducted during the Vigilance Awareness Week, however, in case of exigencies/holidays etc., the same can also be conducted before or after the Vigilance Awareness Week.

12. Selected Photographs/ Media clips may be sent to the Commission by email at the address [coord1-cvc@nic.in](mailto:coord1-cvc@nic.in). Photographs and Media clips may be uploaded on departmental / organizational websites.

13. A report on the observance of the Week may be sent by all Ministries/Departments/ Organizations to Central Vigilance Commission as per the format enclosed at Annexure C, F and G by 30<sup>th</sup> November, 2021.

14. This notification is also available on the Commission's website at <http://www.cvc.gov.in>.



(P. Daniel)

Additional Secretary

Encl: As stated.

To

- i) The Cabinet Secretary of India
- ii) The Secretaries of all Ministries/ Departments of Government of India



- iii) The Chief Secretaries of all states/ Union Territories
- iv) The Comptroller & Auditor General of India
- v) The Chairman, Union Public Service Commission
- vi) The Chief Election Commissioner, Election Commission of India
- vii) Chief Executives of all CPSEs/ Public Sector Banks/ Public Sector Insurance Companies/ Financial Institutions/ Autonomous Organizations/ Societies.
- viii) All Chief Vigilance officers in Ministries/ Departments/ CPSEs/ Public Sector Banks/ Public Sector Insurance Companies/ Financial Institutions/ Autonomous Organizations/ Societies.

**Annexure A****Integrity Pledge for Citizens**

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behavior;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

**Integrity Pledge for Organizations**

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.



Annexure- C**(REPORTING FORMAT)****Internal (Housekeeping) Activities for Vigilance Awareness Week-2021**

[Only statistical /quantified information or Yes/No, etc. to be filled up under head 'Info' and detailed statements to be annexed]

**Name of Ministry/Department/Organization:**

**1. Land Management**

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks (Annex Detail)
1.	Does the organization possess revenue documents / records for the land(s) under its control?	Yes/No		
2.	How much land is under encroachment and at what locations?	.....		
3.	Steps being taken to combat encroachment?	Yes/No		
4.	Any other initiatives?			

**2. Allotment of houses / quarters and related issues**

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks (Annex Detail)
1.	Does the organization use IT application for allotment of houses?	Yes/No		
2.	Does the organization possess a house allotment policy?	Yes/No		
3.	Is House allotment being done as per prescribed policy?	Yes/No		
4.	Is there any illegal occupation of houses, if any and what action has been taken?	Yes/No		
5.	Any other issue?			

3. **Payments and other benefits to persons working in outsourcing services in the organizations.**

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks (Annex Detail)
1.	Whether the organization possesses prescribed norms for outsourcing?	Yes/No		
2.	If yes, are these norms adhered to?	Yes/No		
3.	Whether payment of salaries/wages is paid through bank account by the contractor	Yes/No		
4.	Whether other statutory dues (PF, Medical benefits etc.) are being given on time?	Yes/No		
5.	Whether due wages are paid to the outsourced persons as per contract conditions and any test check being done by the management	Yes/No		
6.	Whether the vendors are adhering to the norms prescribed by the organization?	Yes/No		
7.	Any other special initiative regarding outsourcing?			

4. **Management of Assets**

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks (Annex Detail)
1.	Whether condemnation of assets (Plant and Machinery, Office Equipment, Vehicles, Sundry items etc.) is being done as per extant rules strictly	Yes/No		
2.	Date of last condemnation of assets (Plant and Machinery, Office Equipment, Vehicles, Sundry items etc.) may be given	Date		

5. **Preventive Vigilance measures undertaken by the CVOs**

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks (Annex Detail)
a.	No. of Inspections	..		
b.	No. of Training Programmes / workshops including E-training/ online training	...		

c.	Whether annual property returns submitted by all officers	Yes/No		
d.	Whether organization possesses record retention / preservation policy? If so date of last amendment.	Yes/No		Date
e.	Whether records are being weeded out as per the extant retention policy of the organization.	Yes/No		
f.	It the organization digitizing / plans to digitize old records	Yes/No		If Yes, Annex detail

6. If the organization runs schools, Hospitals etc. – Whether prescribed policy for management is adhered to. – Yes/No

7. Gender sensitization issues

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks (Annex Detail)
a.	Has the organization constituted prescribed committees for harassment of women at the work place? If yes date of last meeting held.	Yes/No		Date
b.	Percentage of representation of women at all levels in the organization .	.....%		
c.	Whether awareness regarding gender issues is being created in the organization	Yes/No		

8. Leveraging Technology- IT usage and E-governance

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks (Annex Detail)
a.	New initiatives taken in the last one year for using IT as a preventive vigilance tool (each initiatives may be described in about 50 words).	Yes/No		
b.	Whether information system audit is done regularly for IT based applications running in the organization. Date of last information system Audit may be given?	Yes/No		Date

9. Scrutiny of Audit reports: Yes/No (If Yes, give no. of scrutiny)



**10. Updation of Rules, Regulations and guidelines**

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	Remarks
a.	Whether organization regularly revises its instructions, rules and regulations. If yes date of last revision of procurement rules, CDA rules, Transfer/Posting policy, HRA Policy, Promotion policy, Fraud Prevention Policy / Banning of Business Dealing policy etc.	Yes/No		Dates
b.	Has the organization made rules for retired officials? If yes Furnish Date	Yes/No		Date

**11. System improvements undertaken (brief description within 100 words)**

SL. No.	Particulars	Info	Progress in the past one year	
a.	Description of System Improvement works/initiatives done may be given in 50 words for each work/initiatives and not more than 100 works in total for all works			Annex detail

(Signature of CVO/Authorised representative)



**PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION  
OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)**

**IS THERE CORRUPTION  
AROUND YOU?  
LODGE A COMPLAINT  
UNDER PIDPI.**

**YOUR IDENTITY SHALL BE KEPT  
CONFIDENTIAL**

**A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2021 INITIATIVE**

**SEND COMPLAINTS IN WRITING TO:  
The Secretary, Central Vigilance Commission  
Satarkta Bhavan , Block-A  
GPO Complex , INA  
New Delhi - 110 023**

**(MARK THE ENVELOPE AS "PIDPI". COMPLAINTS SHOULD ONLY BE  
AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, INCLUDING PSUs, PSBs  
AND UTs etc.)**

# **PIDPI COMPLAINTS: WHAT ARE THEY? & WHEN SHOULD YOU MAKE THEM?**

**1**

Complaints made under Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution are termed as PIDPI complaints

**2**

If any complaint is made under PIDPI, the identity of the complainant is kept confidential

**3**

The complaint should be addressed to the Secretary, Central Vigilance Commission and envelope should be marked as "PIDPI"

**4**

Only complaints against Central Government officials (including PSBs, PSUs and UTs) will be taken into cognizance

**5**

For more details visit <http://www.cvc.gov.in>.



**A VIGILANCE AWARENESS WEEK  
2021 INITIATIVE**



**List of Activities for conducting "Awareness Gram Sabhas" in rural and semi-urban areas**

The following is a list of indicative activities for conducting "Awareness Gram Sabhas". However it is mandatory to organize a meeting as indicated at point (1) below.

- (1) Organize meetings in Gram Panchayats inviting all stake holder. Like the Sarpanch members of Gram Panchayat, Self-Help Groups (SHGs), workers of MGNREGA, farmers, students, and citizens. Head of Gram Sabha/Sarpanch or any dignitary could be requested to deliver lecture on awareness against corruption followed by discussion. Anti-Corruption messages in vernacular languages can also be displayed at the meeting.
- (2) Organize competitions like quiz, cartoon, slogans, painting, rangoli, posters and walkathon/ marathon/ cyclathon etc.
- (3) Organize Melas to give wide publicity to the produce/products of the SHGs as motivational tools for integrating them with awareness creation effort.
- (4) Organize evening Choupals/meetings in villages/ panchayats during which short plays/ nautankies/ kalajathas/ folk songs/ puppet shows, etc., can be organized focusing on the theme of Anti-Corruption.

**Requisite norms and guidelines regarding Covid-19 prevention may be followed, wherever applicable.**

**Annexure- F**

**Special Clearance Campaign**  
**(September-October 2021)**

S. N.	Item	Opening Balance as on 01.09.2021	Accrued during September and October	Total	Disposed during September and October	Closing Balance as on 31.10.2021		
						>3months	>6months	Total
1.	FI							
2.	FSA							
3.	SSA							
4.	I&R							
5.	FR							
6.	Complaint (PIDPI)							
7.	Complaint (Non PIDPI)							
8.	Prosecution Sanction							
9.	Disciplinary Inquiry							
10.	Comments Awaited (on CBI report)							

**Grand Total-**

**Activity Report format on Vigilance Awareness Week-2021**

Name of the Organisation:

**A. INTEGRITY PLEDGE****Table-1: Integrity Pledge**

Total no. of employees who have undertaken e-pledge	Total no. of customers who have undertaken e-pledge	Total no. of citizen who have undertaken e-pledge

**B. ACTIVITIES/EVENTS ORGANISED WITHIN THE ORGANISATION****Table-2: Conduct of competitions**

Name of State	City/Place	Specify program (Debate/Elocution/Panel discussion etc.)	Name of first two winners	No. of participants	Whether copy of award winning activities attached

**Table-3: Other Activities**

Sl. No.	Activities	Details
1.	Distribute Pamphlets/Banners	
2.	Conduct of Workshop/Sensitization programmes	
3.	Issue of Journal/Newsletter	
4.	Any other activities	

**C. ACTIVITIES OUTSIDE THE ORGANISATION****Table-4: Involving students in Schools**

Name of State	Name of city/town/village	Name of School	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of students involved	Whether copy of award winning activities attached
Total					

**Table-5: Involving students in Colleges.**

Name of State	Name of city/town/village	Name of School	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of students involved	Whether copy of award winning activities attached
Total					

**Table-6: "Awareness Gram Sabhas"**

Name of State	Name of city/town/village	Name of Gram Panchayat where "Awareness Gram Sabha" is held	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of public/citizens participated
Total				

**Table-7: Seminars/Workshops**

Name of State	Name of city/town/village	No. of seminars/workshops organised	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of public/citizens participated

**Table-8: Other activities**

Sl. No	Activities	Details
1.	Display of Banners/Posters etc	

2.	No. of grievance redressal camps held	
3.	Use of Social Media	

**D. DETAILS OF PHOTOS ENCLOSED**

(Photos may kindly be sent alongwith captions and also place & date of event)

Name of the activities held	No. of Photos	Whether photos are in sent in soft copy or hard copy	If in soft copy, number of CDs attached

**E. ANY OTHER RELEVANT INFORMATION, IF ANY:**

(Brief write up on the activities conducted during Vigilance awareness Week, not more than in about 1000 words may be attached in a separate sheet)

021/वीजीएल/045  
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक ए  
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स  
आई.एन.ए, नई दिल्ली  
दिनांक 01.09.2021

परिपत्र सं. 15/09/21

**विषय : सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का अनुपालन।**

- 15 अगस्त, 2022 को भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने की स्मृति में, देश में शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के रूप में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से निपटने और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने हेतु अपना कर्तव्य निभाने के अपने संकल्प को दोहराता है ताकि भारत को आत्म-निर्भरता के नए युग में ले जाया जा सके। भारत की यात्रा के इस महत्वपूर्ण चरण के सम्मान के रूप में, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्म निर्भरता" विषय के साथ मनाया जाएगा।
2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल (31 अक्टूबर) के जन्मदिन वाले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन, सभी पणधारियों को भ्रष्टाचार की सामूहिक रूप से रोकथाम करने एवं भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु उनको एक साथ लाने तथा जनता में भ्रष्टाचार के आयोग का एक उपाय है। इस सप्ताह के दौरान, सभी संगठनों को अपने सभी कर्मचारियों को एक साथ लाने, सतर्कता से संबंधित सामान्य मुद्दों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और भ्रष्टाचार तथा अनैतिक प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायक माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. यद्यपि शीघ्रतापूर्वक दी गई शास्ति और दंडात्मक कार्रवाइयाँ भ्रष्टाचार के लिए प्रभावी निवारक हैं तथापि सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाए जाने की आंतरिक भावना भ्रष्टाचार के खतरे के प्रति जनता को जागरूक करना है। इस विचार को सभी संगठनों द्वारा स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई एक सामूहिक लड़ाई है जिसमें सब की भागीदारी हो। अंतः, यह आवश्यक है कि यदि भारत को सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य में सफल होना है, तो जनता को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 26 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 1100 बजे मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संगठनों के सभी लोक सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (अनुलग्नक 'क' में संलग्न) लेने के साथ आरंभ किया जाएगा।

✓ श्रीमती इंदिरा श्री  
सत्यनिष्ठा  
21/10



5. सभी संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वर्तमान कोविड -19 निवारण दिशानिर्देशों का सख्ती से सभी स्थानों और कार्यक्रमों में पालन करें। इसके अतिरिक्त, सभी संगठनों को व्यय विभाग के दिनांक 04.09.2020 के का.ज्ञा. सं. 7(2)ई. समन्वय/2020 के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययता के उपायों का पालन सख्ती से करना चाहिए।
6. सभी संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित संगठनों के भीतर और बाहर इस विषय से सम्बद्ध कार्यकलापों का आयोजन करें और जनता/नागरिकों के लिए विशिष्ट कार्यकलापों का आयोजन करें।
7. संगठनों के भीतर आयोजित किए जाने वाले कार्यकलापों में निम्नलिखित को शामिल किया जाए:

क. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के दौरान आयोजित कार्यकलापों के अनुक्रम में, आयोग चाहता है कि सभी संगठन आंतरिक कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करें। इन कार्यकलापों के लिए निर्देशात्मक सूची तथा जिस प्रारूप में प्रतिक्रिया दी जानी है, वह (अनुलग्नक 'ग') में संलग्न है।

ख. कर्मचारियों को वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑनलाइन "सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट ([www.cvc.gov.in](http://www.cvc.gov.in)) पर उपलब्ध है और सभी के लिए सुलभ है।

ग. आयोग चाहता है कि "पीआईडीपीआई (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण) के अंतर्गत शिकायतों" के बारे में जागरूकता का प्रचार किया जाए और अभियान चलाया जाए। इस संबंध में दो पोस्टर तैयार किए गए हैं और उन्हें संगठन के सभी कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए (अनुलग्नक 'घ')। लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के प्रावधानों तथा इससे संबंधित जानकारी के संदर्भ में जागरूकता का प्रचार करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। दोनों पोस्टरों को एक साथ रखा जाना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, इसका अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया जाना चाहिए।

घ. संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर कर्मचारियों और अन्य पणधारियों के लिए कार्यशालाएं/सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

ङ. कर्मचारियों/उपभोक्ता अनुकूल जानकारी के प्रचार के लिए संगठन की वेबसाइट का उपयोग करें और शिकायतों के निवारण के उपाय उपलब्ध कराएँ।

च. व्यापक प्रसार और जागरूकता के लिए अपनाए गए सर्वांगी सुधारों और अच्छी पद्धतियों को संबंधित संगठनों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।

छ. कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भ्रष्टाचार-रोधी विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित करवाएँ।

ज. उन व्यक्तियों द्वारा ई-सत्यनिष्ठा की संकल्पना को बढ़ावा दें, जिनके साथ संगठन संबंध रखता है।

8. जनता/नागरिकों के लिए विशिष्ट गतिविधियाँ :

क. सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन व्यापक सहभागिता प्राप्त के लिए सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों, विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/पणधारियों, छात्रों आदि के मध्य "सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" का प्रचार करें। नागरिकों और संगठनों के लिए अनुलग्नक 'क' और 'ख' में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा संलग्न है।

"पीआईपीडीआई (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण) के अंतर्गत शिकायतों" का व्यापक प्रचार किया जाए। इस संबंध में दो पोस्टर तैयार किए गए हैं और उन्हें संगठन के सभी कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए (अनुलग्नक 'घ')। लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के प्रावधानों तथा इससे संबंधित सभी जानकारी के संबंध में जागरूकता का प्रचार करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। दोनों पोस्टरों को एक साथ रखा जाना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, इसका अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया जाना चाहिए।

ख. संगठन पैदल दौड़, लंबी दौड़, नुक्कड़ नाटक आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करें, जिनका समाज के सभी वर्गों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

ग. जागरूकता का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ी संख्या में एस.एम.एस/ ई-मेल, व्हाट्सएप आदि का व्यापक प्रयोग किया जाए।

घ. ग्राहक-उन्मुख गतिविधियों वाले संगठनों द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जाए। इसी तरह से, जहाँ भी आवश्यकता हो, ऑनलाइन मोड के माध्यम से या अन्यथा, जो भी अधिक संभव हो, विक्रेताओं की बैठकें आयोजित की जाएं।

ङ. संगठन भ्रष्टाचार गेथी मंटेजों के पन्ना के लिए और एक मतर्क भाग जो सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता को और बढ़ रहा है, के दृष्टिकोण पर बल देना होगा। सामान्य आउटरच कायकलाप संचालित कर। जहाँ भी आवश्यकता हो, ऑनलाइन मोड का व्यापक रूप से प्रयोग करें।

च. ग्राम पंचायतों में जागरूकता का प्रचार करने के लिए "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन करें ताकि भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जा सके। पहले की तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखा स्तर पर कम से कम दो ग्राम पंचायतों में "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन करने की आवश्यकता है। अन्य संगठन भी जहाँ भी संभव हो, इसका आयोजन करें। उन कार्यक्रमों की निर्देशात्मक सूची जिन्हें "ग्राम सभा जागरूकता" के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा सकता है, अनुलग्नक 'ड' में है।

9. सितंबर और अक्टूबर, 2021 के दो महीनों को 'विशेष निपटान अभियान' के रूप में मनाया जाए ताकि सभी लंबित, आगे की सूचना मामलों (एफआई), प्रथम चरण और द्वितीय चरण की सलाह (एफएसए और एसएसए) पर कार्यान्वयन, अन्वेषण और रिपोर्ट (आईएंडआर), तथ्यात्मक रिपोर्ट (एफआर), शिकायतें (पीआईडीपीआई), शिकायतें (गैर-पीआईडीपीआई), अभियोजन स्वीकृति, विभागीय जाँच (डीआई) और सभी संगठनों और विभागों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्टों (सीए) पर प्रतीक्षित टिप्पणियों का निपटान किया जा सके।

अनुलग्नक 'च' में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

10. सतर्कता अध्ययन मंडल भी कोविड-19 दिशानिर्देशों तथा पैरा 5 में उल्लिखित मितव्ययिता उपायों को ध्यान में रखते हुए, कोई या सभी आउटरीच कार्यकलापों का आयोजन करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सक्रिय रूप से सहभागी बन सकते हैं।

11. आयोग सभी संगठनों से यह आशा करता है कि वे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को पूरे उत्साह तथा जोश के साथ आयोजित करें। यद्यपि, सभी कार्यकलापों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित करने की आवश्यकता है तथापि, अत्यावश्यकता/अवकाश आदि के मामले में, इन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह से पहले या बाद में भी आयोजित किया जा सकता है।

12. चुने गए फोटोग्राफ/मीडिया क्लिप्स, ई-मेल द्वारा आयोग को coord1-cvc@nic.in पर भेजा जा सकता है। फोटोग्राफ तथा मीडिया क्लिप्स विभागीय/संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।

13. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा सप्ताह के अनुपालन की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक 'ग', 'च' एवं 'छ') के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक भेजी जाए।

14. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाइट <http://www.cvc.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

हॉल

(या. डानपल)

अपर सचिव

संलग्न: यथा उपर्युक्त

प्रति

- i) भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव
- ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
- iii) सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
- iv) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- v) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
- vi) मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग
- vii) सभी सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थान/स्वायत्त संगठन/समितियों के मुख्य कार्यकारी
- viii) मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थान/स्वायत्त संगठन/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

अनुलग्नक 'क'



### नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जावन क सभा क्षेत्रा म इमानदारा तथा कानून क नियमा का पालन करूंगा;
- ना तो रिश्तत लूंगा और ना ही रिश्तत दूंगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा;
- जनहित में कार्य करूंगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा।



### संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, गजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना

अतः, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्तत देंगे और ना ही रिश्तत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे।

## (रिपोर्टिंग प्रपत्र)

## सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के लिए आंतरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियां

[केवल सांख्यिकीय/मात्राबद्ध जानकारी अथवा हाँ/नहीं आदि, 'जानकारी' शीर्ष के अंतर्गत भरा जाना है और विस्तृत विवरण संलग्न किया जाना है]

## 1. मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम:

## भूमि प्रबंधन

क्रमांक	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणियां (अनुलग्नकों का विवरण)
1.	क्या संगठन के पास अपने नियंत्रणाधीन भूमि के राजस्व दस्तावेज/अभिलेख हैं?	हाँ/नहीं		
2.	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है और यह किन स्थानों पर है ?			
3.	अतिक्रमण रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?	हाँ/नहीं		
4.	कोई अन्य पहल?			

## 2. आवास निवास का आबंटन और संबंधित मुद्दे

क्रमांक	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणियां (अनुलग्नकों का विवरण)
1.	क्या संगठन आवास आबंटन के लिए आईटी एप्लिकेशन का उपयोग करता?	हाँ/नहीं		
2.	क्या संगठन के पास आवास आबंटन नीति है ?	हाँ/नहीं		
3.	क्या निर्धारित नीति के अनुसार आवास आबंटन किया जाता है?	हाँ/नहीं		
4.	क्या आवासों पर कोई अवैध कब्जा है, यदि कोई है तो क्या कार्रवाई की जा रही है?	हाँ/नहीं		
5.	कोई अन्य मुद्दा ?	हाँ/नहीं		



3. संगठन में आउटसोर्सिंग सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान और अन्य लाभ।

क्रमांक	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणियां (अनुलग्नकों का विवरण)
1.	क्या संगठन के पास आउटसोर्सिंग के लिए निर्धारित मानदंड हैं?	हाँ/नहीं		
2.	यदि हां, तो क्या इन मानकों का पालन किया जाता है ?	हाँ/नहीं		
3.	क्या ठेकेदार द्वारा वेतन/मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है ?	हाँ/नहीं		
4.	क्या अन्य सांविधिक बकाया (पीएफ, चिकित्सा लाभ आदि) समय पर दिए जा रहे हैं?	हाँ/नहीं		
5.	क्या आउटसोर्सिंग व्यक्तियों को देय मजदूरी का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है और प्रबंधन द्वारा कोई परीक्षण जांच की जाती है ?	हाँ/नहीं		
6.	क्या विक्रेता, संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं ?	हाँ/नहीं		
7.	आउटसोर्सिंग के संबंध में कोई अन्य विज्ञापन पहल ?	हाँ/नहीं		

क्रम सं.	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणियां (अनुलग्नकों का विवरण)
1.	क्या आस्तियों का निराकरण (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि) वर्तमान नियमों के अनुसार सख्ती से किया जा रहा है?	हाँ/नहीं		
2.	आस्तियों के निराकरण की पिछली तिथि (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि) दी जाए।	दिनांक		

5. मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए निवारक सतर्कता उपाय

क्रम सं.	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणियां (अनुलग्नकों का विवरण)
क.	निरीक्षणों की संख्या			
ख.	ऑनलाइन प्रशिक्षण/ई-प्रशिक्षण सहित कार्यशालाएँ/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या			
ग.	क्या सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत किया गया है?	हाँ/नहीं		
घ.	क्या संगठन के पास रिकॉर्ड धारण/संरक्षण नीति है? यदि हाँ, तो अंतिम संशोधन की तिथि लिखें।	हाँ/नहीं		दिनांक
ङ.	क्या संगठन की वर्तमान धारण नीति के अनुसार रिकॉर्ड नष्ट किए जा रहे हैं?	हाँ/नहीं		
च.	क्या संगठन पुराने अभिलेखों को डिजिटाइज़ कर रहा है/ डिजिटाइज़ करने की योजना बना रहा है?	हाँ/नहीं		यदि हाँ, तो विवरण संलग्न करें

6. यदि संगठन स्कूल, अस्पताल आदि चलाता है, तो क्या प्रबंधन के लिए निर्धारित नीति का पालन किया जाता है - हाँ/ नहीं

7. प्रतिनिधित्व प्रतिकारिता के मामले

क्रम सं.	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणियां (अनुलग्नकों का विवरण)
क.	क्या संगठन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए निर्धारित समितियों का गठन किया है? यदि हाँ, तो अंतिम बैठक की तिथि दें।	हाँ/नहीं		दिनांक
ख.	संगठन में सभी स्तरों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? .....	%		
ग.	क्या संगठन में स्त्री-पुरुष संबंधी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न की जा रही है?	हाँ/नहीं		

## 8. प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण - सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और ई-अभिशासन

क्रम सं.	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणियां (अनुलग्नकों का विवरण)
क.	निवारक सतर्कता के एक उपाय के रूप में आईटी का उपयोग करने के लिए पिछले एक वर्ष में की गई नई पहलें (प्रत्येक पहल लगभग 50 शब्दों में वर्णित की जाए)।	हाँ/नहीं		
ख.	क्या संगठन में चल रहे आईटी आधारित अनुप्रयोगों के लिए सूचना प्रणाली परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है? अंतिम सूचना प्रणाली परीक्षण की तिथि दी जाए।	हाँ/नहीं		दिनांक

## 9. ऑडिट रिपोर्ट की संवीक्षा : हाँ नहीं (यदि हाँ, तो संवीक्षा की संख्या दें)

## 10. नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को अद्यतन करना

क्रम सं.	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	टिप्पणी
क.	क्या संगठन नियमित रूप से अपने अनुदेशों, नियमों और विनियमों को संशोधित करता है ? यदि हाँ, तो खरीद नियम, सीडीए नियमावली, स्थानांतरण /तैनाती नीति, एचआरए नीति, प्रतिबंध, आदि की अंतिम संशोधन की तिथि।	हाँ/नहीं		दिनांक
ख.	क्या संगठन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए नियम बनाए हैं ? यदि हाँ, तिथि प्रस्तुत करें।	हाँ/नहीं		दिनांक

## 11. व्यवस्था में किए गए सुधार (100 शब्दों के भीतर संक्षिप्त विवरण)

क्रम सं.	विवरण	जानकारी	पिछले एक वर्ष में प्रगति	विवरण संलग्न करें
क.	व्यवस्था सुधार कार्यों / पहलों का विवरण, प्रत्येक कार्य / पहलों के लिए 50 शब्दों में दिया जाए और सभी कार्यों के लिए कुल शब्द 100 से अधिक न हों।			

(मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर )

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण  
संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)



**क्या आपके आसपास  
भ्रष्टाचार हो रहा है?  
लोकहित प्रकटीकरण और  
मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत  
शिकायत दर्ज करें।**

आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 - एक पहल**

लिखित में शिकायत यहाँ भेजें:  
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग  
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए  
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए  
नई दिल्ली - 110023

(लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखें। शिकायतें, केंद्र सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संघ शासित प्रदेशों इत्यादि के कर्मचारियों के विरुद्ध ही होनी चाहिए)



# लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण शिकायतें: क्या हैं ? आप कब कर सकते हैं ?

1

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों को 'पीआईडीपीआई' शिकायतें कहा जाता है।

2

यदि कोई शिकायत 'पीआईडीपीआई' के अंतर्गत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

3

शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।

4

केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ शासित प्रदेशों सहित) के विरुद्ध की गई शिकायतों ही पर संज्ञान लिया जाएगा।

5

अधिक जानकारी के लिए  
<http://www.cvc.gov.in> देखें।

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021**  
**एक पहल**

ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में "ग्राम सभा जागरूकता" आयोजित करने के लिए कार्यकलापों की सूची

"ग्राम सभा जागरूकता" आयोजित करने के लिए कार्यकलापों की निर्देशात्मक सूची निम्नलिखित है, तथापि निम्न बिन्दु (1) में निर्दिष्ट अनुसार एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य है।

1) ग्राम पंचायतों में सभाएँ आयोजित करें तथा सभी संबंधित पक्षों, जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों, मनरेगा के कार्यकर्ताओं, कृषकों, छात्रों तथा नागरिकों को आमंत्रित करें। ग्राम सभा के प्रधान/सरपंच या अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता पर व्याख्यान देने का अनुरोध किया जा सकता है, जिसके बाद चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। सभा में देशी भाषाओं में भ्रष्टाचार-रोधी संदेश भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

2) प्रश्नोत्तरी, कार्टून बनाना, स्तोत्र, पेंटिंग, रंगोली तथा पोस्टर, तेजचाल/लंबी दौड़/साईकिल दौड़ आदि पत्रिकाओं का आयोजन करें।

3) स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का व्यापक प्रचार करने हेतु मेले का आयोजन, प्रेरणादायक उपाय के रूप में करें ताकि वे जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रयासों से जुड़ सकें।

4) ग्रामों/पंचायतों में शाम की चौपाल/सभाओं का आयोजन करें जिसके दौरान भ्रष्टाचार-रोधी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए लघु नाटक/नौटकियां/कला जत्था/लोकगीत/कठपुतली प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जा सकता है।

कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में आवश्यक मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन जहां कहीं भी लागू हो, किया जाए।



अनुलग्नक 'च'

विशेष निपटान अभियान

(सितम्बर - अक्टूबर 2021)

क्रम संख्या	मामले	01.09.2021 की स्थिति के अनुसार अथशेष	सितम्बर और अक्टूबर के दौरान प्राप्त	कुल	सितम्बर और अक्टूबर के दौरान निपटान	31.10.2021 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		
						>3 माह	>6 माह	कुल
1.	एफआई							
2.	एफएसए							
3.	एसएसए							
4.	आईएंडआर							
5.	एफआर							
6.	शिकायत (पीआईडीपीआई)							
7.	शिकायत (गैर- पीआईडीपीआई)							
8.	अभियोजन स्वीकृति							
9.	अनुशासनिक जाँच							
10.	प्रतीक्षित टिप्पणियां (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट पर)							

सम्पूर्ण योग -

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 पर कार्यकलाप रिपोर्ट प्रपत्र

संगठन का नाम :

क. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

सारणी-1: सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	ग्राहकों की कुल संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	नागरिकों की कुल संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है

ख. संगठन के भीतर आयोजित कार्यकलाप/कार्यक्रम

सारणी-2: प्रतियोगिताओं का आयोजन

नाम (वाद-विवाद/ वक्तृत्व/ पैनल चर्चा आदि)	विजेताओं के नाम	की संख्या	जीतने वाले कार्यकलापों की प्रति संलग्न है

तालिका -3: अन्य कार्यकलाप

क्रम संख्या	कार्यकलाप	विवरण
1.	पंच/बैनर वितरण	
2.	कार्यशाला/ सुग्राहीकरण कार्यक्रम का आयोजन	

- 3. पत्रिका/समाचार पत्र प्रकाशन
- 4. कोई अन्य कार्यकलाप

ग. संगठन के बाहर कार्यकलाप

तालिका -4: विद्यालयों के छात्रों को शामिल करना

राज्य का नाम	शहर/कस्बा/गाँव का नाम	विद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलाप की तिथि का उल्लेख भी करें)	शामिल छात्रों की संख्या	क्या पुरस्कार जीतने वाले कार्यकलापों की प्रति संलग्न है
कुल					

तालिका-5: महाविद्यालयों के छात्रों को शामिल करना

राज्य का नाम	शहर/कस्बा/गाँव का नाम	महाविद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलाप की तिथि का उल्लेख भी करें)	शामिल छात्रों की संख्या	क्या पुरस्कार जीतने वाले कार्यकलापों की प्रति संलग्न है
कुल					

तालिका - 6: "ग्राम सभा जागरूकता"

राज्य का नाम	शहर/कस्बा/गाँव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ "ग्राम सभा जागरूकता" आयोजित की गई	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलाप की तिथि का उल्लेख भी करें)	भाग लेने वाली जनता/नागरिकों की संख्या

कुल

तालिका -7: सम्मेलन/कार्यशाला

राज्य नाम	का शहर/कस्बा/गाँव का नाम	आयोजित सम्मेलनों / कार्यशालाओं की संख्या	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलाप की तिथि का उल्लेख भी करें)	भाग लेने वाली जनता/नागरिकों की संख्या

क्र.सं.	कार्यकलाप	विवरण
1.	बैनर/पोस्टर्स आदि प्रदर्शित करना	
2.	समस्या निवारण हेतु आयोजित कैंपों की संख्या	
3.	सोशल मीडिया का प्रयोग	

तालिका-8: अन्य कार्यकलाप

घ. संलग्न फोटो के विवरण

(कृपया कार्यकलाप के शीर्षक, स्थान तथा तिथि के साथ फोटो भेजें)

आयोजित कार्यकलाप का नाम	फोटो की संख्या	क्या फोटो सॉफ्ट प्रति में अथवा हार्ड प्रति में भेजे गए हैं	यदि सॉफ्ट प्रति में भेजे गए हैं, तो संलग्न की गई सीडी की संख्या

ड. अन्य कोई सम्बद्ध सूचना, यदि कोई हो :

(सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त सार [1000 शब्दों से अधिक नहीं] दें। यह सार एक पृथक शीट में संलग्न करें)